प्रारूप-II

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

फोन- 0612-2231563, वेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि॰ प्रा॰/नि॰ 1-20/2024 3133 /पटना, दिनांक 04/12/2025

प्रेषक,

कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰),
उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स॰स॰),
खगड़िया, दरभंगा, मुंगेर, जमुई, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मधुबनी, भागलपुर, अरवल, बांका, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, सारण एवं किशनगंज।
संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰),
(संलग्न सूची के अनुसार) ।

विषय : **प्राथमिक कृषि साख समिति लि० (पैक्स) के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 क (1) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के आलोक में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) एवं अधिसूचना संख्या-6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) के रूप में अधिसूचित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे, लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी अपने आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिाकारी को सौंप सकेंगे।

3. **सम्प्रति, प्राधिकार उन प्राथमिक कृषि साख समितियों की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन कराना चाहता है, जिनका निर्वाचन देय है या जो अवक्रमित है अथवा जिनके पद रिक्त हैं तथा जिनका त्रुटिरहित निर्वाचन प्रस्ताव संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट पर ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया है, वैसी समितियों की सूची अनुलग्नक-1 पर दी गयी है।**

4. **अनुलग्नक-1 में वर्णित प्राथमिक कृषि साख समितियों की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार ने दिनांक 30.11.2025 को कट ऑफ-तिथि के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसे व्यक्ति, जो दिनांक 30.11.2025 तक समिति की सदस्यता या सह-सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, के नाम ही प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।**

5. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

(i) अनुलग्नक-1 में अंकित समिति द्वारा **दिनांक 10.12.2025** को तीन प्रति में प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रारूप मतदाता सूची प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 के आलोक में ''समेकित सूची'' होगी, जिसमें समिति की विशेष बैठक के बाद निर्वाचन प्रस्ताव के साथ समर्पित ''प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची'' तथा विशेष बैठक के बाद एवं प्राधिकार द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि के पूर्व ''नये बनाये गये सदस्यों एवं हटाये गये सदस्यों की सूची'' भी शामिल रहेगी। यह समेकित सूची प्रपत्र- एम.1 में तैयार की जाएगी, जो समिति के अध्यक्ष/ प्रबंधक/ प्रशासक द्वारा हस्ताक्षरित होगी। हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर किया जायेगा। पैक्स की प्रबंध समिति के पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है। अत: उस सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो समिति को एक अलग सूची बनाकर यह स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि नियमावली/ उपविधि के किस प्रावधान के तहत तथा किस प्रक्रिया को अपनाकर सदस्यता समाप्त की गयी है। जिला सहकारिता पदाधिकारी इस सूची पर विशेष ध्यान देंगे। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सदस्य की अगर कोई अयोग्यता हो, तो उसका उल्लेख प्रपत्र- एम.1 के स्तम्भ-5 में निश्चित रूप से कर दिया जाय। साथ ही प्रपत्र- एम.1 के स्तम्भ-6 में ''सह-सदस्य'' होने का भी उल्लेख किया जाना है। विगत चुनाव में जो सदस्य थे, वे तबतक सदस्य ही माने जायेंगे, जबतक समिति अपने अभिलेखों, यथा- सदस्यता बही, कैशबुक आदि के आधार पर निर्विवादित रूप से यह प्रमाणित नहीं कर दे कि अमुक व्यक्ति सह-सदस्य है। इसमें किसी प्रकार का संदेह होने पर संदेह का लाभ सदस्य को दिया जायेगा अर्थात् संबंधित व्यक्ति को सदस्य माना जायेगा। यदि किसी मतदाता के बारे में ''सह-सदस्य'' का जिक्र नहीं है और प्रारूप मतदाता सूची में उक्त प्रविष्टि रिक्त है तो संबंधित मतदाता को ''सदस्य'' मान लिया जाएगा। समिति का यह भी दायित्व होगा कि कट-ऑफ तिथि तक वैध रूप से सदस्य/ सह-सदस्य बनाये गये सभी व्यक्तियों का नाम प्रपत्र एम-1 (प्रारूप मतदाता सूची) में अवश्य सम्मिलित रहे। इसके अतिरिक्त प्रपत्र एम- 1A में प्रबंधकारिणी की विशेष बैठक के बाद और प्राधिकार द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि पूर्व अर्थात् बीच की अवधि में नये बनाये गये सदस्यों एवं कारण सहित हटाये गये सदस्यों की सूची भी जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। **प्रारूप मतदाता सूची तैयार करते समय समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन न हो।**

(ii) प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 की कंडिका- 2 (ii) (क) के अनुपालन में समिति की विशेष बैठक के बाद समर्पित प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची की जांच जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा पूर्व में कर ली गई होगी। अत: इस समय जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा विशेष बैठक के बाद एवं कट-ऑफ तिथि के बीच की अवधि में तैयार सूची प्रपत्र- एम 1A से ''समेकित सूची'' की जांच प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 की कंडिका 2 (ii) (ख) (ग) के आलोक में की जायेगी। समिति द्वारा समर्पित प्रारूप मतदाता सूची की प्रमाणिकता की जाँच संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से की जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्राप्त अभिलेख एवं समिति के अभिलेख, यथा- सदस्यता बही, सभा बही, कैशबुक आदि तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्राधिकृत किये जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी सुधार किया जाएगा, उसके संबंध में स्पष्ट कारण भी अंकित किया जाएगा। जाँचोपरान्त एवं संशोधानोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची **दिनांक 12.12.2025** तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जाएगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि प्रारूप मतदाता

सूची में दी गई सूचनायें सही हों तथा कट-ऑफ तिथि तक सभी वैध सदस्यों/ सह-सदस्यों के नाम सूची में शामिल रहें। पैक्स की प्रबंध समिति के पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है। अतः जिला सहकारिता पदाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि उक्त सूची से यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि अधिनियम/ नियमावली/ उपविधि के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया अपना कर ही सदस्यता समाप्त की गयी हो। निर्वाचन की पिछली मतदाता सूची से जिनका नाम समिति ने हटा दिया है और समिति द्वारा कंडिका- 5 (i) के अनुसार दी गयी सूची में सही प्रक्रिया के तहत नाम नहीं हटाया गया हो, तो जिला सहकारिता पदाधिकारी उसकी मान्यता नहीं देंगे और तद्नुसार सूची में सुधार करेंगे। साथ ही पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में अंकित सदस्य के नाम को सह-सदस्य के रूप में मान्यता नहीं देंगे, जब तक कि पूर्व उपकंडिका (i) के अनुसार निर्विवादित रूप से प्रमाणित हो जाए कि वह व्यक्ति सह-सदस्य है। **यह सुनिश्चित करना जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन न हो।** जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित प्रारूप मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी उस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना **प्रपत्र-एम 2** में निर्गत की जायेगी। **प्रपत्र एम-2 के सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर भी किया जाना है। इससे संबंधित निर्देश परिशिष्ट-1 में संलग्न है।**

6. अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक कृषि साख समितियों की मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :-

क्र०	कार्यक्रम	अवधि
1	प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा प्रपत्र-एम 1 में प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	10.12.2025
2	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	12.12.2025
3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर प्रकाशन	13.12.2025
4	आम नोटिस का प्रकाशन, जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित है	13.12.2025
5	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	13.12.2025 से 23.12.2025 तक
6	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	26.12.2025

7. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :-

(क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ख) संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ग) जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(घ) प्राधिकार के वेबसाईट पर (इससे संबंधित निदेश संलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है।)

8. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी सदस्य का नाम जोड़ने से संबंधित दावा **प्रपत्र- एम 3**

में तथा मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति प्रपत्र- एम 4 में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जायेगी, जो संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति के सदस्य हैं। **बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी।** सादे कागज पर दी गई आपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं होंगी।

9. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

10. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति-पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधान अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति ने हटा दिया हो, तो समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम/ नियमावली के किन प्रावधानों के तहत उक्त कार्रवाई की गई है। निर्वाचन पदाधिकारी समिति के अभिलेखों का अवलोकन कर इस पर निर्णय लेगा। सह-सदस्य के संबंध में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो यह समिति का दायित्व होगा कि अभिलेखों, यथा- सदस्यता बही, कैशबुक आदि के आधार पर निर्विवादित रूप से यह प्रमाणित करें कि अमुक व्यक्ति सह-सदस्य हैं। इसमें किसी प्रकार का सन्देह होने पर सन्देह का लाभ सदस्य को दिया जाएगा अर्थात् संबंधित व्यक्ति को सदस्य माना जाएगा। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय्र पर सहकारिता पदाधिकारी से तकनीकी परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह जिनका नाम पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था, परंतु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हों, तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क एवं शेयर राशि जमा करने का साक्ष्य अथवा पूर्व में अपने सदस्य होने का ठोस साक्ष्य अथवा शेयर प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जायगी। साथ ही साथ, आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जा सकती है।

11. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें **प्रपत्र-एम 5** में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप **प्रपत्र-एम 6** पर देखा जा सकता है।

12. संबंधित सहकारी समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन अपने नाम एवं पदनाम सहित हस्ताक्षर किया जाएगा, जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो। किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता

सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

13. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-एम 1** में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे एवं एक प्रति मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

14. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगीं। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति सहकारी समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायगी। **जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 2/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।**

15. **दिनांक 26.12.2025** के पूर्वाह्न तक निर्वाचन पदाधिकारी विनिर्दिष्ट स्थलों पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगे। मतदाता सूची के अंतिम प्रकशन की सूचना प्रपत्र- एम 6 में निर्गत किया जाएगा। तत्पश्चात् मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर "हाँ" अथवा "नहीं" में किया जाएगा। **निर्वाचन पदाधिकारी को स्पष्ट किया जाता है कि वेबसाईट पर अंतिम प्रकाशन के सूचना की प्रविष्टि होने के पश्चात् ही प्राधिकार द्वारा संबंधित समिति का निर्वाचन कराया जायेगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना उसी दिन प्रपत्र- एम 7 में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूचनाओं को समेकित कर प्रपत्र- एम 7 में ही प्राधिकार को ई-मेल के माध्यम से **दिनांक 29.12.2025** तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

16. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

4.12.25

(कयूम अंसारी)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 3133 /पटना, दिनांक 04/12/2025

प्रतिलिपि: संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे कृपया निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्त्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे कट-ऑफ तिथि के आधार पर प्राथमिक कृषि साख समिति से निर्धारित तिथि को प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची प्राप्त करने की व्यवस्था अपने स्तर से भी सुनिश्चित करेंगे।

4.12.25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 3133 /पटना, दिनांक 04/12/2025

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.12.25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 3133 /पटना, दिनांक 04/12/2025

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.12.25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 3133 /पटना, दिनांक 04/12/2025

प्रतिलिपिः MIS कोषांग, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस कार्यक्रम के अनुसार वेबसाईट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

4.12.25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 3133 /पटना, दिनांक 04/12/2025

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.12.25

संयुक्त सचिव।

मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि/ अपलोड से संबंधित निर्देश।

दिनांक 13.12.2025 को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी से **प्राप्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन अन्य विहित स्थानों के अलावे** प्राधिकार के वेबसाईट पर प्रारूप मतदाता सूची को स्कैन करके Pdf File में अपलोड कर किया जायेगा। इसके लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी–

i) प्राधिकार के वेबसाइट https://bsea.bihar.gov.in का लॉगिन पेज open करेंगे,

ii) ऊपर वर्णित "समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम" टैब पर क्लिक करेंगे,

iii) मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना (M-2) पर क्लिक करेंगे,

iv) टेबल में उपलब्ध विभिन्न पत्र संख्या के सामने "View" बटन पर क्लिक करेंगे,

v) **क्लिक करने के उपरांत नीचे खुले दूसरे टेबल में "प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं" की सूचना देते हुए प्रारूप मतदाता सूची के scanned pdf फाइल को अपलोड करेंगे,**

vi) scanned pdf फाइल अपलोड करने के उपरांत यह आश्वस्त हो लें कि सही फाइल को अपलोड किया गया है, तत्पश्चात् Entry करने वाले व्यक्ति का नाम तथा मोबाईल नम्बर देने के बाद Submit बटन पर क्लिक करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची स्कैन करने से संबंधी निर्देश :–

i) प्रारूप मतदाता सूची को ब्लैक एंड व्हाईट मोड में स्कैन करना है (Grey अथवा Colour में नहीं),

ii) Resolution 200 से 300 dpi में रखना है,

iii) Scanned फाइल को pdf फाइल के रूप में save करना है,

iv) pdf फाइल साईज 30 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए,

v) pdf फाइल साईज 30 MB से ज्यादा होने की स्थिति में compressed करने पर सूची अच्छे से पठनीय होना चाहिए, फाइल quality खराब नहीं होना चाहिए।

***कम्प्यूटर स्कैनर से स्कैन करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय। स्कैनर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मोबाईल से स्कैन करते वक्त भी उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाय।**

प्रारूप मतदाता सूची का pdf फाईल अपलोड हो जाने के बाद यह वेबसाइट के Home page पर उपलब्ध Public View **"समितियों से संबंधित प्रारूप मतदाता सूची देखने के लिए क्लिक करें"** पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

2. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों की मतदाता सूची का **प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना** प्राधिकार के वेबसाइट https://bsea.bihar.gov.in पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) **दिनांक 13.12.2025** को निम्नरूप से किया जायेगा :–

i) होमपेज में ऊपर **"समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम"** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम

के सामने उल्लिखित **''प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं''** में ''हाँ'' अथवा ''नहीं'' का चयन कर सबमिट करेंगे।

3. निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुन: प्राधिकार के वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना **दिनांक 26.12.2025** को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगे :-

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर **''समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम''** पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित **''अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं''** में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन/ अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर **''मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं''** पर क्लिक कर देख सकेंगे।

.......o........

अनुलग्नक – 1

निर्वाचन देय पैक्सों की सूची।

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अभ्युक्ति
1	खगडिया	खगड़िया	उत्तर मरर पैक्स	
2	खगडिया	खगड़िया	भदास उत्तरी पैक्स	
3	खगडिया	खगड़िया	रहिमपुर (मध्य) पैक्स	
4	खगडिया	खगड़िया	रानी सकरपुरा पैक्स	
5	खगडिया	खगड़िया	खगड़िया नगर परिषद पैक्स लि०-०1 (कोठिया पैक्स)	
6	खगडिया	गोगरी	देवठा पैक्स	
7	खगडिया	चौथम	पिपरा पैक्स	
8	खगडिया	चौथम	बुच्चा पैक्स	
9	खगडिया	बेलदौर	चोढली पैक्स	
10	खगडिया	बेलदौर	बेलदौर नगर पंचायत पैक्स (बेलदौर पैक्स)	
11	खगडिया	बेलदौर	डुमरी पनसलवा पैक्स	
12	खगडिया	बेलदौर	कजरी पैक्स	
13	खगड़िया	गोगरी	शेरचकला पैक्स	
14	खगड़िया	गोगरी	सम्मसपुर पैक्स	
15	दरभंगा	अलीनगर	मोतीपुर पैक्स	
16	दरभंगा	कुशेश्वरस्थान	चिंगरी सिमराहा पैक्स	
17	दरभंगा	केवटी	ननौरा पैक्स	
18	दरभंगा	दरभंगा	कबीर चक पैक्स	
19	दरभंगा	दरभंगा	धोई पैक्स	
20	दरभंगा	दरभंगा	घोरघट्टा पैक्स	
21	दरभंगा	बहेड़ी	अटहर उत्तरी पैक्स	
22	दरभंगा	बहेड़ी	गजरौली रमौली पैक्स	
23	दरभंगा	बहेड़ी	चकवा भरवारी पैक्स	
24	दरभंगा	बहेड़ी	समधपुरा पैक्स	
25	दरभंगा	बहेड़ी	हथौड़ी दक्षणी पैक्स	

26	दरभंगा	बहेड़ी	हावीडीह उत्तरी पैक्स	
27	दरभंगा	बेनीपुर	बहेड़ा (नगर परिषद)	
28	दरभंगा	बेनीपुर	हरिपुर पैक्स	
29	दरभंगा	सिंहवाड़ा	रामपुरा पैक्स	
30	दरभंगा	सिंहवाड़ा	निस्ता पैक्स	
31	दरभंगा	सिंहवाड़ा	भराठी पैक्स	
32	दरभंगा	हायाघाट	घोषरामा पैक्स	
33	दरभंगा	हायाघाट	रसूलपुर पैक्स	
34	दरभंगा	हायाघाट	सिरनिया पूर्वी पैक्स	
35	दरभंगा	हायाघाट	सिरनीया पश्चिमी पैक्स	
36	दरभंगा	बिरौल	डुमरी पैक्स	
37	दरभंगा	बेनीपुर	रमौली पैक्स	
38	दरभंगा	केवटी	कोयलास्थान पैक्स	
39	दरभंगा	बेनीपुर	नवादा पैक्स	
40	दरभंगा	दरभंगा	खरूआ पैक्स	
41	दरभंगा	बेनीपुर	बसुहाम पैक्स	
42	दरभंगा	बेनीपुर	मकरमपुर पैक्स	
43	दरभंगा	बेनीपुर	मझौडा पैक्स	
44	दरभंगा	घनश्यामपुर	घनश्यामपुर पैक्स	
45	दरभंगा	हायाघाट	मलहीपट्टी उतरी पैक्स	
46	दरभंगा	केवटी	जलवारा पैक्स	
47	दरभंगा	केवटी	लदारी पैक्स	
48	दरभंगा	केवटी	लहवार पैक्स	
49	दरभंगा	केवटी	सरजापुर पैक्स	
50	दरभंगा	बहादुरपुर	प्रेमजीवर पैक्स	
51	दरभंगा	किरतपुर	कुबौल धंगा पैक्स	
52	दरभंगा	जाले	कतरौल बसंत पैक्स	
53	दरभंगा	जाले	कमतौल पैक्स	
54	दरभंगा	जाले	करवा तरियानी पैक्स	
55	दरभंगा	जाले	मुरैठा पैक्स	

56	दरभंगा	जाले	राधी पूर्वी पैक्स	
57	दरभंगा	बिरौल	बैरमपुर पैक्स	
58	दरभंगा	घनश्यामपुर	पोहदी बेला पैक्स	
59	दरभंगा	घनश्यामपुर	ब्रह्मपुर मसवासी पैक्स	
60	दरभंगा	मनीगाछी	कमता बहुअरवा पैक्स	
61	दरभंगा	जाले	बंधौली पैक्स	
62	दरभंगा	जाले	राधी पश्चिमी	
63	दरभंगा	बिरौल	मनोर भौराम पैक्स	
64	दरभंगा	हायाघाट	आनंदपुर सहोरा पैक्स	
65	दरभंगा	हायाघाट	पौराम पैक्स	
66	दरभंगा	हायाघाट	सिधौली पैक्स	
67	मुंगेर	जमालपुर	इंदरुख पश्चिमी पैक्स	
68	मुंगेर	जमालपुर	सिंघिया पैक्स	
69	मुंगेर	टेटिया बम्बर	बनहरा पैक्स	
70	मुंगेर	तारापुर	लौना पैक्स	
71	मुंगेर	धरहरा	औड़ाबगीचा पैक्स	
72	मुंगेर	धरहरा	टेटरॉन बंगलवा पैक्स	
73	मुंगेर	धरहरा	सरोबाग पैक्स	
74	मुंगेर	धरहरा	हुसैनपुर घटवारी पैक्स	
75	मुंगेर	बरियारपुर	चिरैयाबाद रतनपुर पैक्स	
76	मुंगेर	बरियारपुर	बिन्दा दियारा झौआ बहिआर पैक्स	
77	मुंगेर	हवेली खड़गपुर	गोबद्डा पैक्स	
78	मुंगेर	हवेली खड़गपुर	दरियापुर 2 पैक्स	
79	मुंगेर	हवेली खड़गपुर	रतैठा पैक्स	
80	मुंगेर	संग्रामपुर	चंन्दूकी दुरमटटा पैक्स	
81	मुंगेर	संग्रामपुर	दीदारगंज पैक्स	
82	मुंगेर	संग्रामपुर	बालियाँ पैक्स	
83	मुंगरे	धरहरा	धरहरा महराना पैक्स	
84	मुंगेर	मुंगेर सदर	श्रीमतपुर पैक्स	
85	मुंगेर	बरियारपुर	निरपुर पैक्स	
86	मुंगेर	मुंगेर सदर	कुतलुपुर दियारा पैक्स	
87	मुंगेर	बरियारपुर	करहरिया पश्चिम पैक्स	

88	जमुई	खैरा	भीम मायान पैक्स	
89	जमुई	लक्ष्मीपुर	चिबेरिया पैक्स	
90	जमुई	इस्लामनगर अलीगंज	बाला पुरसण्डा पैक्स	
91	जमुई	इस्लामनगर अलीगंज	मिर्जागंज पैक्स	
92	जमुई	खैरा	जीत जितझिंगोई पैक्स	
93	जमुई	खैरा	बिसनपुर पैक्स	
94	जमुई	खैरा	हरनी पैक्स	
95	जमुई	गिद्धौर	कोल्हुआ पैक्स	
96	जमुई	गिद्धौर	गुगुलडीह पूर्वी पैक्स	
97	जमुई	जमुई	अगहारा पैक्स	
98	जमुई	जमुई	ककन पैक्स	
99	जमुई	जमुई	लखनपुर पैक्स	
100	जमुई	झाझा	करमा पैक्स	
101	जमुई	झाझा	बैजला पैक्स	
102	जमुई	झाझा	बराकोला पैक्स	
103	जमुई	झाझा	बराजोर पैक्स	
104	जमुई	झाझा	बलियाडीह पैक्स	
105	जमुई	झाझा	बोड़वा पैक्स	
106	जमुई	झाझा	महापुर पैक्स	
107	जमुई	झाझा	हथिया पैक्स	
108	जमुई	बरहट	गूगलडीह पैक्स	
109	जमुई	बरहट	डाढ़ा पैक्स	
110	जमुई	बरहट	पारो पैक्स	
111	जमुई	लक्ष्मीपुर	आनन्दपुर पैक्स	
112	जमुई	लक्ष्मीपुर	काला पैक्स	
113	जमुई	सिकन्दरा	मिर्चापाठकचक पैक्स	
114	जमुई	सोनो	छुछुनरिया पैक्स	
115	जमुई	सोनो	थम्हन पैक्स	

116	जमुई	सोनो	दहयारी पैक्स	
117	जमुई	सोनो	बलथर पैक्स	
118	जमुई	सोनो	बाबूडीह पैक्स	
119	जमुई	सोनो	महेश्वरी पैक्स	
120	जमुई	सोनो	रजौन पैक्स	
121	जमुई	सोनो	ललिलेवार पैक्स	
122	जमुई	चकाई	कल्याणपुर पैक्स	
123	जमुई	चकाई	घुटवे पैक्स	
124	जमुई	चकाई	चोफला पैक्स	
125	जमुई	चकाई	बरमोरिया पैक्स	
126	जमुई	चकाई	बामदह पैक्स	
127	जमुई	चकाई	बोंगी पैक्स	
128	जमुई	चकाई	रामचन्द्रडीह पैक्स	
129	जमुई	चकाई	सरौन पैक्स	
130	सीतामढ़ी	डुमरा	भासर मछहा दक्षिणी पैक्स	
131	सीतामढ़ी	डुमरा	मेथौरा पैक्स	
132	सीतामढ़ी	बेलसण्ड	कंसार पैक्स	
133	सीतामढ़ी	बेलसण्ड	डुमरा नुनौरा पैक्स	
134	सीतामढ़ी	रीगा	सिरौली प्रथम पैक्स	
135	सीतामढ़ी	डुमरा	सीतामढ़ी नगर निगम पुनौरा पूर्वी पैक्स	
136	सीतामढ़ी	परसौनी	कठौरा पैक्स	
137	सीतामढ़ी	रून्नीसैदपुर	मानिक चौक दक्षिणी पैक्स	
138	सीतामढ़ी	सोनबरसा	बगहा पैक्स	
139	सीतामढ़ी	रुन्नीसैदपुर	काड़िया लालपुर पैक्स	
140	सीतामढ़ी	रुन्नीसैदपुर	देवना बुजुर्ग पैक्स	
141	सीतामढ़ी	रुन्नीसैदपुर	मोरसण्ड पैक्स	
142	सीतामढ़ी	रीगा	मेहसिया पैक्स	
143	सीतामढ़ी	रीगा	सिराही पैक्स	
144	सीतामढ़ी	रुन्नीसैदपुर	ओलीपुर सरहचिया पैक्स	
145	सीतामढ़ी	पुपरी	नारायणपुर पैक्स	
146	सीतामढ़ी	पुपरी	बाजीतपुर बौरा पैक्स	

147	सीतामढ़ी	सुप्पी	धरवारा पैक्स	
148	औरंगाबाद	औरंगाबाद	बड़वा पैक्स	
149	मधुबनी	लदनियाँ	खोजा पैक्स	
150	भागलपुर	खरीक	गोटखरीक पैक्स	
151	भागलपुर	नवगछिया	खगरा पैक्स	
152	भागलपुर	पीरपैंती	खवासपुर पैक्स	
153	भागलपुर	बिहपुर	अमरपुर पैक्स	
154	भागलपुर	शाहकुंड	बासुदेवपुर पैक्स	
155	भागलपुर	सुलतानगंज	आवारतनपुर पैक्स	
156	अरवल	अरवल	मखदुमपुर कवीर पैक्स	
157	अरवल	अरवल	मुरादपुर हुजरा पैक्स	
158	अरवल	कुर्था	इब्राहिमपुर पैक्स	
159	अरवल	करपी	मुरारी पैक्स	
160	अरवल	कलेर	उसरी पैक्स	
161	अरवल	सोनभद्र वशी सूर्यपुर	बेलौरा पैक्स	
162	बांका	चांदन	चांदवारी पैक्स	
163	बांका	चांदन	बिरनीया पैक्स	
164	बांका	अमरपुर	पवई पैक्स	
165	बांका	अमरपुर	बैजुडीह पैक्स	
166	बांका	अमरपुर	भदरिया पैक्स	
167	बांका	अमरपुर	महादेवपुर पैक्स	
168	बांका	अमरपुर	सुल्तानपुर पैक्स	
169	बांका	कटोरिया	मनिया पैक्स	
170	बांका	शंभुगंज	पड़रिया पैक्स	
171	बांका	शंभुगंज	बिरनौधा पैक्स	
172	अररिया	नरपतगंज	बसमतिया पैक्स	
173	अररिया	फारबिसगंज	पोठीया पैक्स	
174	मधेपुरा	बिहारीगंज	पड़रिया पैक्स	<u>रिक्त पदों का निर्वाचन-</u> अध्यक्ष पद (अनारक्षित)- 01 (पुरूष/महिला) सामान्य वर्ग सदस्य पद- 02 (महिला) पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) अत्यंत पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) अनुसूचित जाति वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला)
175	सुपौल	छातापुर	बलुआ पैक्स	
176	सुपौल	किशनपुर	करहिया पैक्स	

177	सुपौल	किशनपुर	तुलापट्टी पैक्स	
17[illegible]	सुपौल	किशनपुर	नौआवाखर पैक्स	
179	सुपौल	छातापुर	भीमपुर पैक्स	
180	सुपौल	छातापुर	मोहम्मदगंज पैक्स	
181	सुपौल	छातापुर	राजेश्वरी पूर्वी पैक्स	
182	सुपौल	छातापुर	सोहटा पैक्स	
183	सुपौल	सरायगढ़ भपटियाही	चाँदपीपर पैक्स	
184	सुपौल	पिपरा	रतौली पैक्स	रिक्त पदों का निर्वाचन- अध्यक्ष पद (अनारक्षित)- 01 (पुरूष/महिला)
185	कटिहार	बलरामपुर	भिमियाल पैक्स	
186	सारण	बनियापुर	कराह प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड बनियापुर	
187	सारण	बनियापुर	धंगरहा पैक्स	रिक्त पदों का निर्वाचन- अध्यक्ष पद (अनारक्षित)- 01 (पुरूष/महिला)
188	सारण	बनियापुर	पैगम्बरपुर पैक्स	रिक्त पदों का निर्वाचन- पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) अत्यंत पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला)
189	सारण	बनियापुर	भूसाव प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड, बनियापुर	
190	सारण	मढ़ौरा	सालिमापुर पैक्स	
191	सारण	रिविलगंज	दक्षिणवारी चक्की पैक्स	
192	किशनगंज	टेढ़ागाछ	झाला पैक्स	
193	किशनगंज	टेढ़ागाछ	दकपोखर पैक्स	
194	किशनगंज	टेढ़ागाछ	बैगना पैक्स	रिक्त पदों का निर्वाचन- अत्यंत पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) अनुसूचित जाति वर्ग सदस्य पद- 01 (पुरूष/ महिला) अनुसूचित जाति वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला)
195	किशनगंज	ठाकुरगंज	चैतल पैक्स	
196	किशनगंज	ठाकुरगंज	बेसरबाटी पैक्स	
197	किशनगंज	ठाकुरगंज	भोलमारा पैक्स	

198	किशनगंज	ठाकुरगंज	सखौदली पैक्स	
199	किशनगंज	दिघलबैंक	सिंघीमारी पैक्स	रिक्त पदों का निर्वाचन- सामान्य वर्ग सदस्य पद- 01 (पुरूष/महिला) सामान्य वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (पुरूष/महिला) पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) अत्यंत पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) अनुसूचित जाति वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला)
200	किशनगंज	पोठिया	दामलबारी पैक्स	रिक्त पदों का निर्वाचन- सामान्य वर्ग सदस्य पद- 01 (पुरूष/महिला) सामान्य वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (पुरूष/महिला) अत्यंत पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) अनुसूचित जाति वर्ग सदस्य पद- 01 (पुरूष/महिला)
201	किशनगंज	बहादुरगंज	चन्दवार्ट मिलिक पैक्स	
202	किशनगंज	बहादुरगंज	देसीयाटोली पैक्स	
203	किशनगंज	बहादुरगंज	निसानदरा पैक्स	
204	किशनगंज	बहादुरगंज	भाटाबाड़ी पैक्स	रिक्त पदों का निर्वाचन- सामान्य वर्ग सदस्य पद- 02 (महिला) अत्यंत पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (पुरूष/महिला) अत्यंत पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) अनुसूचित जाति वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला)